तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नारायणसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 157/2023 (ऑनलाईन नं.353110982518390)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी नारायणसिंह पुत्र मूलसिंह, निवासी ग्राम खीरजा पोस्ट हिण्डाल गोल तहसील बाप जिला फलोदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.06.23. में उसके द्वारा (1) संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.22 को कानसिंह पुत्र मूलसिंह के बन्दूक की अनुज्ञा पत्र निरस्त व शस्त्र जमा रखने के विषय में मेरे पिताजी मूलसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा जांच करवाई गयी उस जांच की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 879 दिनांक 26.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, न्यायिक अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 855 दिनांक 21.07.23 द्वारा कुल 02 पृष्ठों की बिन्दुवार सूचना ऑनलाईन एवं डाक के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	